राजस्थान सरकार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

वार्षिक प्रगति / प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2019

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF ANTI CORRUPTION BUREAU, RAJASTHAN

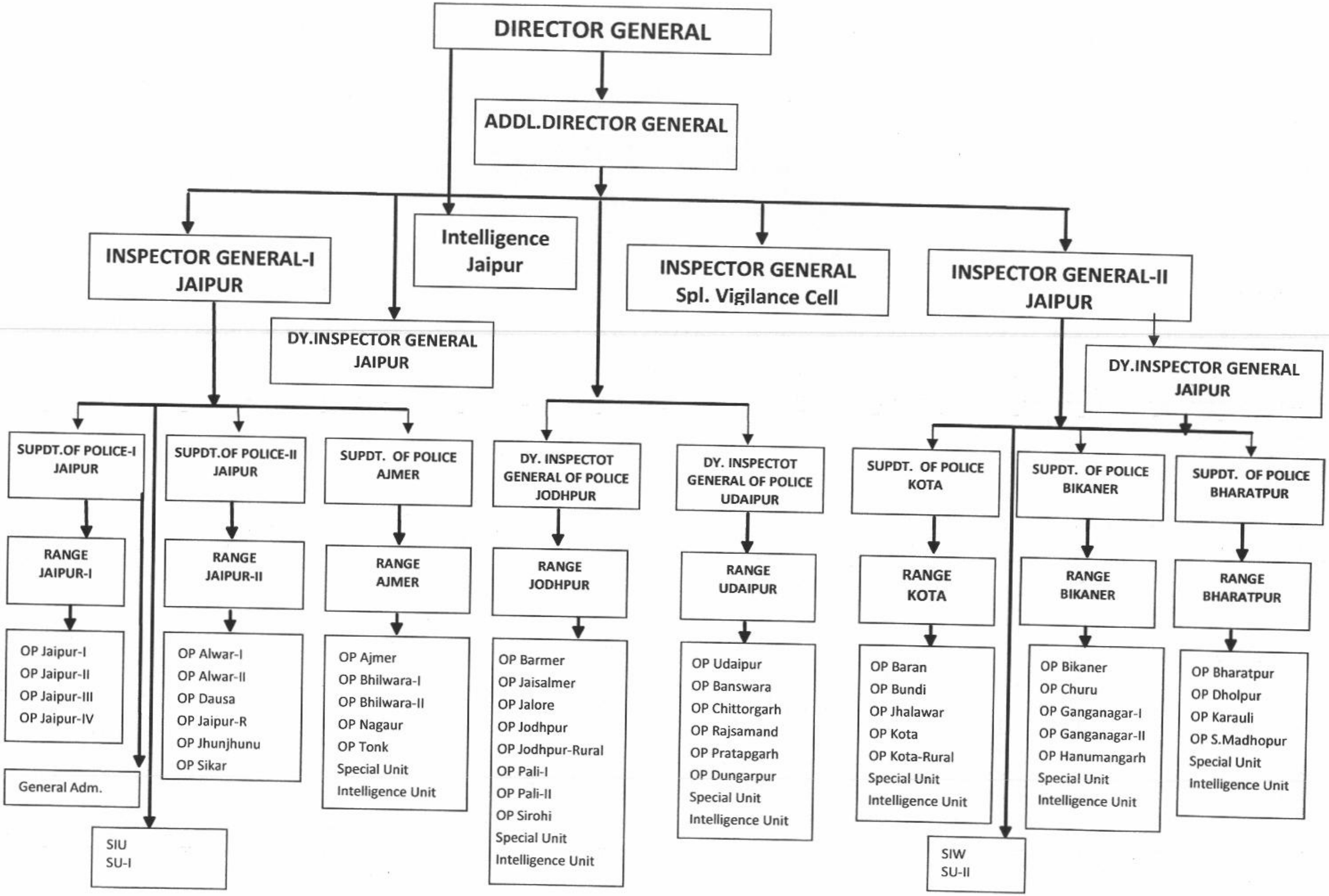

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.स.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	महानिदेशक	01	01	—
2.	अति0 महानिदेशक	01	01	—
3.	महानिरीक्षक पुलिस	03	01	02
4.	उप महानिरीक्षक पुलिस	04	03	01
5.	पुलिस अधीक्षक	06	01	05
6.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	60	32	28
7.	उप अधीक्षक पुलिस	31	25	06
8.	पुलिस निरीक्षक	98	30	68
9.	उप निरीक्षक पुलिस	35	17	18
10.	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	26	12	14
11.	मुख्य आरक्षक(सीपी)	155	128	27
12.	मुख्य आरक्षक(एमटी)	11	11	—
13.	आरक्षक	488	404	84
14.	आरक्षक ड्राईवर	95	83	12
15.	वित्तीय सलाहकार	01	01	—
16.	वरिष्ठ लेखाधिकारी(मुख्य लेखाधिकारी)	01	01	—
17.	आर.ए.एस.(उप निदेशक राजस्व)	02	01	01
18.	अधिशाषी अभियंता(उप निदेशक तकनीकी)	01	—	01
19.	उप निदेशक अभियोजन	02	02	—
20.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	01	—
21.	निजी सचिव	01	01	—
22.	सहायक परीक्षक अधिकारी	01	—	01
23.	लेखाधिकारी (वरिष्ठ लेखाधिकारी)	01	01	—

24.	अतिरिक्त निजी सचिव	01	—	01
25.	जन सम्पर्क अधिकारी	01	01	—
26.	प्रोग्रामर	01	—	01
27.	सहायक विधि परामर्शी	01	—	01
28.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	—
29.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	—	01
30.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	05	05	—
31.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	03	02	01
32.	निजी सहायक	07	02	05
33.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	19	19	—
34.	कनिष्ठ लेखाकार	01	01	—
35.	शीघ्र लिपिक	10	—	10
36.	वरिष्ठ सहायक	38	32	06
37.	सूचना सहायक	03	01	02
38.	कनिष्ठ सहायक	68	44	24
39.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	10	07
	कुल योग	1202	875	327

प्रमुख कार्य

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों एवं राजकीय प्रतिष्ठानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु किये जा रहे कार्यों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना, सूत्र सूचनायें एकत्रित कर उनको विकसित एवं सत्यापित करना, अपराधों का अन्वेषण करना, रिश्वत प्राप्त करने वाले लोक सेवकों को रंगे हाथों पकड़ना, राजकीय पद का दुरूपयोग करने वाले तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना है।

प्रशासन

राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की 43 चौकियां स्थापित हैं इनमें से 05 जयपुर में स्थापित हैं। सभी जिलों पर स्थापित चौकियों में प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। विशेष अभियोगों का अनुसंधान करने के लिए पृथक से स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग/यूनिट ब्यूरो के मुख्यालय पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो मुख्यालय जयपुर में 2 स्पेशल यूनिट, रेंज स्तर पर 6 स्पेशल यूनिट एवं 6 इन्टेलीजेंस यूनिट कार्यरत हैं।

वर्ष में किये गये महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियाँ

वर्ष 2019 में कुल 424 अभियोग पंजीबद्ध किये गये, जिनमें से ट्रेप के 309 अभियोग, पद के दुरूपयोग के 88 अभियोग एवं आय से अधिक परिसम्पतियाँ अर्जित करने के 27 अभियोग हैं। माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में से वर्ष 2019 के अन्त तक 142 प्रकरणों में आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार की मंशानुरूप भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही की गई जिसमें प्रमुख विभाग एवं उनके कार्मिकों के विरूद्ध की गई प्रभावी कार्यवाहियों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(अ) ट्रेप के प्रकरण

पुलिस विभाग

1. श्री आस मोहम्मद, एसीपी झोटवाड़ा, जयपुर पश्चिम, आयुक्तालय, जयपुर एवं अन्य को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 32/2019 दिनांक 14.02.2019 को पंजीबद्ध किया गया।
2. श्री प्रकाश चन्द मांडीवाल, निरीक्षक पुलिस, सीबीआई जयपुर, एवं अन्य को 30,00,000 रूपये एवं 11 सेल्फ चैक 45 लाख रूपये के कुल रिश्वत राशि 75 लाख रूपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 55/2019 दिनांक 08.03.2019 को पंजीबद्ध किया गया।
3. श्री विरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना, बेगू जिला चित्तौड़गढ़ एवं अन्य को 11,18,600 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 289/2019 दिनांक 27.09.2019 को पंजीबद्ध किया गया।
4. श्री महमूद खांन, उप अधीक्षक पुलिस, वृत्ताधिकारी वृत नोखा, जिला बीकानेर को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 216/2019 दिनांक 29.07.2019 को पंजीबद्ध किया गया।
5. श्री संजय सिंह, कानि0 न0 122, सीआईडी (विशेष शाखा) जोन भरतपुर को 5,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 328/2019 दिनांक 15.11.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

राजस्व विभाग

6. श्री विजय सिंह नाहटा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर द्वितीय, जोधपुर, अति. प्रभार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय, जोधपुर को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 94/2019 दिनांक 19.04.2019 को पंजीबद्ध किया गया।
7. श्री भंवर लाल कांसोटिया, उप खण्ड अधिकारी धौलपुर को 10,000 रूपये की रिश्वत वापस लौटाते हुए को गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 232/2019 दिनांक 03.08.2019 को पंजीबद्ध किया गया।
8. श्री किशन चन्द, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार ऑडिट एवं राजस्व लेखा परीक्षा जयपुर एवं अन्य को 1,10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 286/2019 दिनांक 25.09.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

ऊर्जा विभाग

9. श्री रमेश चन्द मीणा, सहायक अभियंता, पवस, जयपुर डिस्कॉम, नीमराणा, जिला अलवर को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 27/2098 दिनांक 08.02.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

खनिज/वन विभाग

10. श्री बंशीधर कुमावत, संयुक्त सचिव, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य को 6,90,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 268/2019 दिनांक 04.09.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

11. श्री गोपाल बच्छ, खनि अभियंता, खान एवं भू– विभाग आमेट, जिला राजसंमद एवं अन्य को 4,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 313/2019 दिनांक 01.11.2019 को पंजीबद्ध किया गया।
12. श्री पन्नालाल, अधीक्षण खनिज अभियंता, खान एवं भू– विभाग, कोटा जिला को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 404/2019 दिनांक 27.12.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

जल संसाधन विभाग

13. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सहायक अभियंता, कार्यालय उप खण्ड द्वितीय, नर्मदा नहर परियोजना (जल संसाधन), सांचौर, जिला जालौर एवं अन्य को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 288/2019 दिनांक 26.09.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

नारकोटिक्स विभाग

14. श्री सहीराम मीणा , अतिरिक्त कमिश्नर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा एवं अन्य को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 20/2019 दिनांक 27.01.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

वाणिज्य कर विभाग

15. श्रीमती अनुसूया कुमारी, असिस्टेन्ट कमिश्नर वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, वाणिज्यक कर विभाग तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर एवं अन्य को 1,15,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 231/2019 दिनांक 03.08.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

16. श्री प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक उद्यान, आईआईटी प्रोजक्ट सीपीडब्ल्यूडी जोधपुर को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पर अपराध संख्या 302/2019 दिनांक 14.10.2019 को पंजीबद्ध किया गया।

(ब) पद के दुरूपयोग के प्रकरण

बैंक

17. श्री रामेश्वर प्रसाद रैगर, हाल बैंकिग सहायक, कार्यवाहक शाखा सचिव देवगढ़ अतिरिक्त चार्ज, भूमि विकास बैंक, शाखा आमेट, जिला राजसमंद एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए राज्य सरकार को 7,50,000/–रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 43/2019 दिनांक 26.02.2019 पंजीबद्ध किया गया।

श्रम विभाग

18. श्री रामेश्वर प्रसाद जांगिड, तत्का0 श्रम कल्याण अधिकारी, झुन्झुनूं हाल सेवानिवृत उप श्रम आयुक्त, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आपसी मिली भगत कर गलत भुगतान करने एवं राज्य सरकार को 25,34,893/–रू. की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 33/2019 दिनांक 18.02.2019 पंजीबद्ध किया गया।

राजस्व विभाग

19. श्री रिछपाल सिंह बुरडक, उप खण्ड अधिकारी, डेगाना जिला नागौर एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को लाखों रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 203/19 दिनांक 19.07.2019 पंजीबद्ध किया गया।
20. श्री मदन लाल सियाग, तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी, खाजूवाला, जिला बीकानेर एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को लाखों रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 245/19 दिनांक 19.08.2019 पंजीबद्ध किया गया।

नारकोटिक्स विभाग

21. श्री अब्दुल अजीज, उप निरीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भीलवाडा के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को 27,52,100/—रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 212/19 दिनांक 24.07.2019 पंजीबद्ध किया गया।

गृह विभाग

22. श्री राकेश कुमार मीणा, अनुभागाधिकारी, गृह (ग्रुप—11) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अधिकारी/कर्मचारियो से स्वयं के लिये एवं अन्य कार्मिको के लिए अवैध पारितोषण की मांग कर पद एवं प्राधिकार का अनुचित प्रयोग करते हुए अपने परिचितों को उनके अवैध कृत्यों के लिए संरक्षण प्रदान किया जाना आदि आरोपों पर प्रकरण संख्या 252/19 दिनांक 22.08.2019 पंजीबद्ध किया गया।

चिकित्सा विभाग

23. श्री नरेन्द्र कुमार आचार्य, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय कोठारिया, जिला राजसमंद एवं अन्य के विरूद्ध आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को 67,22,705/—रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाने पर प्रकरण संख्या 377/19 दिनांक 16.12.2019 पंजीबद्ध किया गया।

(स) आय से अधिक सम्पति के प्रकरण

नारकोटिक्स विभाग

24. श्री सहीराम मीणा, तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स, कोटा द्वारा नियम विरूद्ध 13,05,95,391/— रूपये की आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप पर प्रकरण संख्या 29/2019 दिनांक 11.02.2019 पंजीबद्ध किया गया।

जन जातिय क्षेत्रिय विकास विभाग

25. श्रीमती भारती राज, वित्तिय सलाहकार, टी.ए.डी. विभाग, उदयपुर एवं द्वारा 3,81,40,852/— रूपये की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप पर प्रकरण संख्या 220/2019 दिनांक 30.07.2019 पंजीबद्ध किया गया।

कृषि विभाग

26. श्री अशोक कुमार गर्ग, उप निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर एवं अन्य द्वारा 4,39,72,936 रूपये की आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप पर प्रकरण संख्या 257/2019 दिनांक 28.08.2019 पंजीबद्ध किया गया।

खान विभाग

27. श्री अशोक सिंघवी, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा 5 करोड़ 50 लाख रूपये की आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप पर प्रकरण संख्या 296/2019 दिनांक 09.10.2019 पंजीबद्ध किया गया।

28. श्री दीवान सिंह देवडा, अधीक्षण खनि अभियंता, खान विभाग, उदयपुर एवं अन्य द्वारा 3,87,21,849 रूपये की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप पर प्रकरण संख्या 311/2019 दिनांक 31.10.2019 पंजीबद्ध किया गया।

वर्ष 2019 में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद 142 प्रकरणों में आरोपियों को सजा का निर्णय सुनाया गया, जिनमें से निर्णित महत्वपूर्ण प्रकरण निम्न है:-

1. अभियोग संख्या 89/2004 में आरोपी श्री प्रतापसिंह पिता देवीसिंह राव, तत्कालीन तहसीलदार तहसील, फतेहगढ़, जिला जैसलमेर को धारा 13(1)(ई) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 लाख रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी 18 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

2. अभियोग संख्या 155/2010 में आरोपी श्री बलवन्त सिंह, तत्कालीन एक्सईएन, कृषि विपणन बोर्ड, भरतपुर को धारा 13(1)(ई) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

3. अभियोग संख्या 140/2009 में आरोपी श्री सगराराम विश्नोई, तत्कालीन सहायक लोक अभियोजक प्रथम, एसीजेएम कोर्ट, पोकरण को धारा धारा 7, 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी 2-2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

4. अभियोग संख्या 269/2007 में आरोपी श्री नाथ गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जे0वि0वि0एन0एल0 नैनवा, जिला बूंदी को धारा 7 पी.सी. एक्ट में एक वर्ष के कारावास एवं धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 2 वर्ष के कारावास एवं क्रमशः 5 व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 3 व 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

5. अभियोग संख्या 249/2007 में आरोपी श्री नरेन्द्रपाल सिंह तत्कालीन तहसीलदार बानसूर जिला अलवर को धारा 7 पी.सी. एक्ट में 2 वर्ष के कारावास एवं धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के कारावास एवं क्रमशः 2 हजार व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 2 व 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

6. अभियोग संख्या 84/2004 में आरोपी डॉ आनन्द स्वरूप, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबलाना, जिला बून्दी को धारा 7 पी.सी. एक्ट में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं क्रमशः 10 हजार व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 3 व 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

7. अभियोग संख्या 89/2003 में आरोपी श्री सुरेश बिहारी माथुर, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, भूजल विभाग, जोधपुर एवं श्री प्रेमराज नुवाल, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, भू–जल विभाग, जोधपुर को धारा 7 पी.सी. एक्ट में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 2–2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

8. अभियोग संख्या 23/2005 में आरोपी डॉ श्याम सुन्दर गुप्ता, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ को धारा 7 पी.सी. एक्ट में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 2–2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

9. अभियोग संख्या 100/2004 में आरोपी श्री विजय कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय स्टेशन रोड़, कोटा को धारा 7 पी.सी. एक्ट में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 3 व 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

10. अभियोग संख्या 30/2007 में आरोपी श्री भंवरदान देथा, तत्कालीन उप अधीक्षक, जिला कारागृह, नागौर को धारा 7 पी.सी. एक्ट में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 6–6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

11. अभियोग संख्या 264/2005 में आरोपी डॉ रामप्रसाद विमल, तत्कालीन उप निदेशक, खादी जिला उद्योग केन्द्र, अलवर को धारा 7 पी.सी. एक्ट में 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 2-2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

12. अभियोग संख्या 252/2006 में आरोपी श्री रामस्वरूप उपाध्याय, तत्कालीन प्रभारी अधिकारी रसायनशाला, जोधपुर को धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। धारा 409 भादस में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

13. अभियोग संख्या 334/2006 में आरोपी श्री कृष्ण मोहन शर्मा, तत्कालीन प्रबंधक कार्यालय दी पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मारवाड जंक्शन, जिला पाली को धारा 7 पी.सी. एक्ट में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 3 व 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

14. अभियोग संख्या 76/2003 में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद गौतम, तत्कालीन अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति कामां, जिला भरतपुर को धारा 7 पी.सी. एक्ट में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 3 व 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

15. अभियोग संख्या 323/2006 में आरोपी श्री भृगेन्द्रसिह चौहान, तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालवाड, जयपुर को धारा 7 पी.सी. एक्ट में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी क्रमशः 2 व 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है।

परिवाद

वर्ष 2019 के आरम्भ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 1186 परिवाद विचाराधीन थे। वर्ष 2019 में 367 परिवाद सत्यापन हेतु पंजीबद्ध किये गए। इस प्रकार कुल 1553 परिवाद विचाराधीन हुए। इनमें से 266 परिवादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 67 परिवादों पर नियमित अभियोग पंजीबद्ध किये गये, 02 परिवादों में प्राथमिक जांच, 04 परिवाद पर विभागीय जाँच प्रस्तावित की गई एवं 30 परिवादों में प्रथम दृष्टया विभागीय स्तर का मामला होने पर संबंधित विभागों को यथोचित कार्यवाही हेतु लिखा गया। 163 परिवादों में आरोप सत्यापन से अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किये गये। वर्ष 2019 के अन्त में 1287 परिवाद सत्यापनाधीन रहे।

परिवाद से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित परिवाद	826	951	1186
2	वर्ष में दर्ज परिवाद	366	580	367
3	वर्ष में रिओपन किए गए परिवाद	—	—	—
4	वर्ष में कुल विचाराधीन परिवाद (क्रम संख्या 1+2+3 का योग)	1192	1531	1553
5	परिवाद पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट	47	77	67
6	परिवाद पर दर्ज प्राथमिक जांच	01	—	02
7	विभागाध्यक्षों को विभागीय कार्यवाही हेतु भेजे गये परिवाद	—	05	04
8	विभागाध्यक्षों को उनके स्तर पर जांच करवाने हेतु भेजे गये परिवाद	17	36	30
9	आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किये गये परिवाद	176	227	163
10	वर्ष में निस्तारण का योग (क्रम संख्या 5+6+7+8+9 का योग)	241	345	266
11	वर्ष के अन्त में लम्बित रहे परिवादों की संख्या (क्रम संख्या 4 — 10 का अंतर)	951	1186	1287

प्राथमिक जांच

वर्ष 2019 के प्रारम्भ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 169 प्राथमिक जाँच विचाराधीन थी। वर्ष 2019 में 14 प्राथमिक जाँचे पंजीबद्ध की गई। इस प्रकार कुल 183 प्राथमिक जाँच विचाराधीन रही। वर्ष 2019 के अन्त तक 48 प्राथमिक जाँचों का निस्तारण किया गया। इनमें से 13 प्राथमिक जाँचों पर नियमित अभियोग पंजीबद्ध किये गए, 03 प्राथमिक जाँचों में दोषियों के विरूद्ध विभागीय जाँच संबंधित विभाग को प्रस्तावित की गई, 09 प्राथमिक जाँचों में विभागीय स्तर का मामला होने पर संबंधित विभागों को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई एवं 23 प्राथमिक जाँचों में आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध की गई। वर्ष 2019 के अन्त में 135 प्राथमिक जाँचे जाँचाधीन रही।

प्राथमिक जांच से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2017	**2018**	**2019**
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्राथमिक जांच	228	190	169
2	वर्ष में दर्ज प्राथमिक जांच	23	34	14
3	वर्ष में रिओपन की गई प्राथमिक जांच	—	—	—
4	वर्ष में कुल विचाराधीन प्राथमिक जांच (क्रम संख्या 1+2+3 का योग)	251	224	183
5	प्राथमिक जांच पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट	13	18	13
6	विभागाध्यक्षों को विभागीय जांच हेतु भेजी गई	02	01	03
7	विभागाध्यक्षों को कार्यवाही हेतु भेजी गई	15	09	09
8	आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबध्द की गई	31	27	23
9	वर्ष में निस्तारण का योग (क्रम संख्या 5+6+7+8 का योग)	61	55	48
10	वर्ष के अन्त में लम्बित रही प्राथमिक जांच (क्रम संख्या 4 – 9 का अन्तर)	190	169	135

अभियोग

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2019 के प्रारम्भ में 1614 अभियोग विचाराधीन थे। वर्ष 2019 में कुल 424 अभियोग पंजीबद्ध किये गये, जिनमें 309 अभियोग अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की राशि मांगने एवं प्राप्त करने के हैं, 27 अभियोग आय से अधिक सम्पत्ति के हैं एवं 88 अभियोग पद के दुरूपयोग से संबंधित हैं। वर्ष 2019 में न्यायालय के आदेश पर पुनः अनुसंधान हेतु 03 अभियोग रिओपन किए गए। इस प्रकार कुल 2041 अभियोग विचाराधीन रहे। वर्ष 2019 में कुल 347 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 245 अभियोगों में सम्बन्धित न्यायालयों में चालान तथा 102 अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2019 के अन्त में कुल 1694 अभियोग विचाराधीन रहे।

अभियोग से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका
(वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2017	**2018**	**2019**
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित अपराध	1550	1577	1614
2	आलौच्य वर्ष में ट्रेप से दर्ज अपराध	291	246	309
3	आलौच्य वर्ष में आय से अधिक परिसम्पति रखने के दर्ज अपराध	15	12	27
4	आलौच्य वर्ष में पद के दुरूपयोग से संबंधित दर्ज अपराध	98	114	88
5	न्यायालय से पुनः अनुसंधान हेतु प्राप्त	05	11	03
6	वर्ष में कुल विचाराधीन अपराध (क्रम संख्या 2+3+4+5 का योग)	409	383	427
7	आलौच्य वर्ष में कुल विचाराधीन अपराध (क्रम संख्या 1+6 का योग)	1959	1960	2041
8	सक्षम न्यायालय में पेश चालान	289	274	245
9	सक्षम न्यायालय में पेश अंतिम प्रतिवेदन	93	72	102
10	कुल निस्तारित अपराधों की संख्या (क्रम संख्या 8+9 का योग)	382	346	347
11	वर्ष के अन्त में शेष बचे विचाराधीन अपराधों की संख्या (क्रम संख्या 7 – 10 का अंतर)	1577	1614	1694

अभियोजन स्वीकृति

वर्ष 2019 के प्रारम्भ में 186 अभियोग सक्षम प्राधिकारीगण के पास अभियोजन स्वीकृति हेतु विचाराधीन थे। वर्ष 2019 में 247 अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित किये गये। इस प्रकार कुल 433 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव विचाराधीन थे। वर्ष के दौरान कुल 236 अभियोगों में अभियोजन स्वीकृति के बाबत निर्णय ब्यूरो को प्राप्त हुए। वर्ष 2019 के अन्त में कुल 197 अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारीगण के पास विचाराधीन है।

अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की तीन वर्षों की स्थिति (वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2017	**2018**	**2019**
1	2	3	4	5
1.	वर्ष के प्रारम्भ में पेण्डिंग अभियोजन स्वीकृति के अभियोगों की संख्या	124	151	186
2.	वर्ष में भेजी अभियोजन स्वीकृति के अभियोगों की संख्या	250	301	247
3.	क्रम संख्या 1+2 का योग	374	452	433
4.	वर्ष में अभियोजन स्वीकृति बाबत प्राप्त निर्णय	223	266	236
5.	वर्ष के अन्त में लम्बित (क्रम संख्या 3–4 का अंतर)	151	186	197

अभियोजन कार्य

वर्ष 2019 के आरम्भ में 3056 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे। वर्ष 2019 में 232 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गए। इस प्रकार कुल 3288 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहे, इनमें से 283 प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों से निस्तारण हुआ जिसमें से 142 प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों को सजा से दण्डित किया गया, 120 प्रकरणों में अभियुक्तों को बरी किया एवं 21 प्रकरण आरोपीगण की मृत्यु होने से ड्रोप हुए। वर्ष 2019 के अन्त तक 3005 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहे।

अभियोजन से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2017	**2018**	**2019**
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या	3025	3062	3056
2	वर्ष में प्राप्त प्रकरणों की संख्या	290	278	232
3	न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की कुल संख्या (क्रम संख्या 1+2 का योग)	3315	3340	3288
4	सजा के प्रकरणों की संख्या	102	127	142
5	बरी के प्रकरणों की संख्या	121	145	120
6	ड्रोप हुए प्रकरणों की संख्या	30	12	21
7	कुल निस्तारित प्रकरणों की संख्या (क्रम संख्या 4+5+6 का योग)	253	284	283
8	वर्ष के अन्त में न्यायालय में शेष विचाराधीन रहें प्रकरणों की संख्या (क्रम संख्या 3 – 7 का अन्तर)	3062	3056	3005

वर्ष 2019 के आरम्भ में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों में पेश की गई 1036 अपीलें/निगरानी विचाराधीन थी। वर्ष के दौरान 07 अपीलें/निगरानी ओर पेश की गई। इस तरह वर्ष 2019 में कुल 1043 अपीलें व निगरानी हुई। इनमें से 10 अपील/निगरानी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज/निस्तारण किया गया। वर्ष के अन्त में 1033 अपीलें/निगरानी विचाराधीन रही।